न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2019

प्रार्थी :-

हरिराम पुत्र श्री पेमाराम उम्र 68 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाना का बास तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. नैनाराम पुत्र श्री लिछमणराम
2. गोबरराम पुत्र श्री मिगाराम
3. सुरजाराम पुत्र श्री मेहराजराम फौत के कायम मुकाम
   - 3/1 चन्दूराम पुत्र श्री सुरजाराम
   - 3/2 हिम्मताराम पुत्र श्री सुरजाराम
   - 3/3 ईश्वरराम पुत्र श्री सुरजाराम
   - 3/4 अशोक पुत्र श्री सुरजाराम
   - 3/5 दिनेश पुत्र श्री सुरजाराम
   - अप्रार्थीगण संख्या 3/4 व 3/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिये माता राजो देवी
   - 3/6 राजो देवी पत्नी श्री सुरजाराम
4. मानाराम पुत्र श्री मेहराजराम
5. कूमाराम पुत्र श्री मेहराजराम
6. छगनी पत्नी श्री चुनाराम फौत के कायम मुकाम
   - 6/1 कमाराम गोदपुत्र श्री चुनाराम
7. बाबूराम पुत्र श्री केशाराम
8. गोमदराम पुत्र श्री केशाराम
9. भैराराम पुत्र श्री केशाराम फौत के कायम मुकाम
   - 9/1 किशनाराम पुत्र श्री भैराराम
   - 9/2 [illegible] पुत्र श्री भैराराम
   - 9/3 भीखी पत्नी श्री भैराराम
10. [illegible] पुत्र श्री केशाराम
11. गोकुलराम पुत्र श्री केशाराम
12. [illegible] पत्नी श्री केशाराम
13. [illegible] पुत्र श्री [illegible]
14. [illegible] पुत्र श्री [illegible]

15 [illegible] पुत्र श्री अचलाराम

16 [illegible] पुत्र श्री अचलाराम

17 [illegible] पुत्र श्री अचलाराम

18 [illegible] पौत्र/पुत्र श्री [illegible]

19 तेजाराम पुत्र श्री प्रेमाराम

20 [illegible] पुत्र श्री प्रेमाराम

सभी जातियान मेघवाल निवासी ग्राम बाना का बास तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

21 सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम</u>

<u>उपस्थिति</u> :-

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गढ़ेरणा

अप्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह राठौड़

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक [illegible].2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम बाना का बास की सरहद मे खसरा सख्या 232 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है जिसमे प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। जिसमे प्रार्थी परिवार सहित निवास करता है उक्त भूमि के पूर्वी दिशा की तरफ खसरा सख्या 234 आया हुआ है जो नक्शा ट्रेस मे सयुक्त दर्ज है परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे अलग अलग बटटा नम्बर के रूप में दर्ज है जो खसरा सख्या 234/3 अप्रार्थीगण सख्या01 की खातेदारी खसरा सख्या 234/4 अप्रार्थीगण सख्या 02 की खातेदारी, खसरा सख्या 234/5 अप्रार्थीगण सख्या 03 से 05 की खातेदारी, खसरा सख्या 234/1 अप्रार्थीगण सख्या 06 की, खसरा सख्या 234 अप्रार्थीगण सख्या 07 से 12 की खसरा सख्या तथा खसरा सख्या 234/2 अप्रार्थीगण सख्या 13 से 20 की सयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है खसरा सख्या 234 के उतरी दिशा मे डामर सडक चलती है सडक के पास मे स्कूल आई हुई है जहां पर डामर रोड से लेकर स्कूल तक मुडिया सडक बनी हुई है। उक्त मुडिया सडक से अप्रार्थीगण के खसरा सख्या 234 मे से पीढीयो से खसरा सख्या 232 मे बनी ढाणी मे प्रार्थी का आना जाता होता है। तथा खसरा सख्या 234 मे से ही मार्ग गुजरता है। प्रार्थी के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। यही एक मात्र निकटतम व लघुतम रास्ता है जिसको प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे मे मार्क [illegible] भी दर्शाया गया है इसके अलावा कोई रास्ता प्रार्थी के आने जाने के लिए नही है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हुआ उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होता है तो अप्रार्थीगण कई बार रास्ते मे अवरोध डाल देते है तथा कई बार बन्द कर देते है। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता न्यायालय हाजा से तय करवाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थी की भूमि मे आने जाने के लिए उक्त रास्ता एकमात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार डीएल सी दर के अनुसार राशि देने हेतु तैयार है अन्त मे प्रार्थी द्वारा इस्तदुआ चाही कि प्रार्थी को सडक से अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बाना का बास के खसरा सख्या 232 रकबा 07 बीघा 02

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned with CamScanner

बिस्वा भूमि तक आने जाने के लिए अप्रार्थी के नक्शा टेस में दर्ज मूल खसरा सख्या 234 में से सलग्न नजरी नक्शे में बताए लाल रंग के स्थान से 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया गया तथा जबाब व तहसीलदार तिवरी से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली मुकर्र रखी गई । जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही हुआ तो अप्रार्थीगण का जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया तहसीलदार तिवरी की ओर से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसमें अंकित किया गया है कि खसरा सख्या 234/5 व खसरा सख्या 234/3 में से 234/1 तक होते हुए प्रार्थी के घर तक कदीमी रास्ता चलता है । लेकिन वर्तमान मे उक्त कदीमी रास्ते के उपर गेट लगाकर बन्द कर दिया है। उक्त ए बी सी डी के रास्ते के अलावा प्रार्थी के घर तक पहुचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। किन्तु मार्क डी की जगह लोहे का गेट लगाया हुआ है। इस प्रकार से तहसीलदार तिवरी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातदेारी भूमि खसरा सख्या 232 तक जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से ही रास्ता चलता था जो अप्रार्थीगण के द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातदेारी भूमि में आने जाने के लिए मौका रिपोर्ट दिनॉक 06.07.2020 में वर्णित ए बी सी डी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए पहले से ही रास्ता उक्त वर्णित भूमि मे से चलता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस में बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सरासर गलत पेश किया है चूॅकि प्रार्थी की खातदोरी भूमि मे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसलिए नया रास्ता नही दिया जा सकता है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईस्तदुआ की।

पत्रावली का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के पास स्थित भूमि का देखते हुए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नही होता है। जो कि तहसीलदार तिवरी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्टतया प्रमाणित है। अतः प्रार्थी की भूमि को देखते हुए प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में वर्णित ए से बी रास्ता दर्ज किया जाना उचित है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी को सडक से अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बाना का बास के खसरा सख्या 232 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि तक आने जाने के लिए अप्रार्थी के नवशा टेस में दर्ज मूल खसरा सख्या 234 में से सलग्न नजरी नक्शे मे बताए लाल रंग जिसका अंकन तहसीलदार तिवरी के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वर्णित <u>ए बी सी डी</u> के स्थान से 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने व रास्ते के रूप में अलग से घोषित करने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु डी एल सी की दर से दुगुनी दर तय की जाकर प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा करेगें। आदेश की पालना हेतु तहसीदार तिवरी को तहरीर जारी हों मौका रिपोर्ट दिनॉक 06.07.2020 निर्णय का भाग मानी जावे।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

निर्णय आज दिनॉक 10/3/20 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

Scanned with CamScanner